न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 02/2023

जीसीएमएस नम्बर : 2023/3

प्रार्थी:—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
पीराराम पुत्र सुराराम जाति राईका, निवासी चांचौडी, तहसील रानी जिला पाली		1. नारायणलाल पुत्र हीराजी जाति सुथार निवासी चांचौडी, तहसील रानी जिला पाली 2. ग्राम पंचायत चांचौडी जरिये सरपंच तहसील रानी जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन दवे।

—: निर्णय :—

दिनांक : 27/06/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत चांचौडी द्वारा जारी पट्टा संख्या 3019 दिनांक 16.10.1981 के विरुद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम चांचौडी में प्रार्थी का पुश्तैनी आधिपत्य सुदा एक भूखण्ड स्थित है। उक्त भूखण्ड का ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। उक्त पट्टे को जारी करने के दौरान पंचायतीराज नियम में प्रदत्त किसी प्रकार की प्रक्रिया की पालना नहीं की गयी है। पट्टे की मूल प्रति पर किसी के हस्ताक्षर नहीं केवल पुश्त पर ग्रुप सचिव के हस्ताक्षर है। इसके अतिरिक्त उक्त पट्टे की प्रतिलिपि पर सरपंच के हस्ताक्षर है। ग्रुप सचिव को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। मौके पर अप्रार्थी का कब्जा न होकर प्रार्थी का कब्जा है। साथ ही पट्टे के पडौस मौके पर विद्यमान नहीं है। जैर निगरानी पट्टे की मिसल कायम नहीं की है, जो Ab Initio Void होने से भी खारिज है। जब ग्राम पंचायत का कोई आदेश देखने मात्र से ही विधिविरूद्ध प्रतीत होता है तो उसमें म्याद का कोई प्रश्न नहीं होता है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ 458, 1996 DNJ 413, 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court, 2018 (2) DNJ 497, 2015 (1) DNJ 443 पेश कर विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज करने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र में पुश्तैनी मकान बताया है परन्तु मेरे पट्टे के पडौस, प्रार्थी के पट्टे से

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर

Sd/-
अति. जिला कलेक्टर, पाली

अलग है। अधिवक्ता प्रार्थी ने फोटोग्राफ्स पेश किये लेकिन फोटो मे कौन है, फोटो कहां का है यह स्पष्ट नहीं है। अप्रार्थी का जैर निगरानी पट्टा 16.10.81 को जारी हुआ है और प्रार्थी ने 41 वर्ष बाद जैर निगरानी याचिका पेश की है, जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थी के पास पट्टे की प्रमाणित प्रति में सरपंच के हस्ताक्षर है जबकि मूल प्रति में सरपंच है हस्ताक्षर नहीं है लेकिन दोनों पट्टों के नम्बर एक ही है। अप्रार्थी के पास उपलब्ध पट्टा एवं मूल फाईल का अलग–अलग पडत है इसलिये हो सकता है कि मूल पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर शेष रह गये हो। अप्रार्थी ने वर्ष 1994 में निर्माण इजाजत ली थी और यदि अप्रार्थी का पट्टा नहीं होता हो निर्माण स्वीकृति की रसीदे कैसे प्राप्त करता। ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 16.09.1981 को कुल 50 व्यक्तियों को पट्टे जारी किये, जिसमें क्रम संख्या 34 पर अप्रार्थी का नाम है तथा उक्त पट्टा 20 सूची कार्यक्रम के दौरान जारी किया गया, जिसमें कौरम पूर्ण है। जैर निगरानी पट्टा सम्पूर्ण प्रक्रिया के तहत जारी किया गया है और जहां तक कब्जा का प्रश्न है तो प्रार्थी को सिविल न्यायालय में जारीजोही करनी चाहिए। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2008(2) DNJ (Raj.) 735, 2002(1)RRT 434 पेश कर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत चांचौडी द्वारा जारी पट्टा संख्या 3019 दिनांक 16.10.1981 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र रह रहा कि प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका 36 वर्ष के विलम्ब के बाद पेश की, जो म्याद बाहर है। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2008(2) DNJ (Raj.) 735 Abdul Latif & Anr. vs State & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 270–राजस्थान पंचायत नियम, 1996–नियम 166–पुनरीक्षण–का विस्तार– प्रार्थी ने कलेक्टर के समक्ष यह अभिकथित करते हुए पुनरीक्षण दायर किया कि ग्राम पंचायत ने विधि के प्रावधानों के विपरीत पट्टे जारी किये–पुनरीक्षण 21 वर्षों की देरी से दायर किया गया–प्रार्थी को अपील का त्वरित उपचार उपलब्ध था लेकिन उसने पुनरीक्षण याचिका को पोषणीय करने में हितबद्ध व्यक्ति है–पट्टे वर्ष 1981 में जारी किये गये तथा प्रार्थी ने पुनरीक्षण याचिका वर्ष 2002 में दायर की वह भी देरी का समुचित कारण बताये बिना–अप्रार्थी संख्या 6 ने वर्ष 1998 में विवादित भूमि पर निर्माण कराना शुरू किया तथा इस बारे में अन्य लोगों ने दीवानी वाद भी दायर किया–निर्णित, जिला कलेक्टर ने प्रार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करके सही किया। इसी प्रकार अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2002(1)RRT 434 Chiranji lal & Add. Collcetor III, Jaipur & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137–धारा 97 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग–राज्य सरकार को असीमित शक्त्यिां है–अनुच्छेद 137 के उपबन्ध लागू नहीं

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर राज.

अति. जिला कलेक्टर, पाली

होते है–30 वर्ष पश्चात् पट्टा निरस्त करना मनमानी है एवं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है–प्रार्थी के भूमि पर अधिकार सृजित हुए–अभिनिर्णीत, अपर कलेक्टर ने पट्टा निरस्त करने में अवैधता की है–आदेश अपास्त किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने उपरोक्त उक्त का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जब ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये निर्धारित तरीके से पट्टा जारी किया गया हो, तो वहां पर समयसीमा बाध्यकारी नहीं होती है। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court Chimna lal vs State of Rajasthan and others के अनुसार When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public policy can be enforced wherever an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brouth to their notice. इसी प्रकार 2018(2)DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land Conversion) Jodhpur & Ors. में यह यह उल्लेख किया गया कि No limitation for exercising the reisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) DNJ 443 Looni Devi & 10 Ors. vs State of Rajasthan & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void allotment." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार जब किसी अधिनियम में कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा वर्णित 6 प्रकार की कार्रवाई को अवैध माना एवं इस प्रकार के मामलों में, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्तियों को प्रयोग किया जा सकता है या जब भी ऐसे आदेश उनके ध्यान में लाए जाते है। साथ ही में विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि 41 वर्ष के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उभयपक्ष अधिवक्तागण ने दौराने बहस जैर निगरानी आराजी पर अपना अपना कब्जा होना बताया है और अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में फोटोग्राफस पेश किये परन्तु उनके द्वारा किये गये मौखिक कथन और दस्तावेज से यह प्रमाणित नहीं होता कि मौके पर कब्जा किसका है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य उज्र यह था कि पत्रावली पर प्रस्तुत फोटो अनुसार मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है जो कि पट्टे में वर्णित शर्त संख्या 8 का उल्लंघन है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त उज्र का विरोध करते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में निर्माण कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में रसीद जारी हो रखी है इससे स्पष्ट है कि मौके पर निर्माण कार्य हो रखा है। जैर आराजी पर निर्माण के तथ्यों के सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी ने केवल ग्राम पंचायत द्वारा जारी रसीद पेश की, यदि मौके पर कोई निर्माण कार्य किया हुआ होता तो अधिवक्ता अप्रार्थी अपने कथनों की ताईद में अवश्य ही मौके की स्थिति के सम्बन्ध में फोटोग्राफस अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करते, जो कि उनके द्वारा नहीं किये गये। लिहाजा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रथमदृष्टया यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टे में वर्णित शर्त संख्या 8 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है, जिस कारण हस्तगत पट्टा को यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है और पट्टे की पुश्त पर केवल ग्रुप सचिव के हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उपरोक्त उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के दौरान सम्पूर्ण कोरम की उपस्थिति में 50 व्यक्तियों को निःशुल्क पट्टे जारी किये गये, जिसमें क्रम संख्या 34 पर अप्रार्थी संख्या 1 का नाम अंकित है। ग्राम पंचायत में पट्टा में दो अलग–अलग पक्त होती है, जिसमें से ग्राम पंचायत के पास कार्यालय–प्रति तथा पट्टाधारक को दुसरी प्रति दी गयी। यदि कार्यालय–प्रति पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है तो उसमें पट्टाधारक का कोई दोष नहीं हैं। उभयपक्ष अधिवक्तागण के उपरोक्त कथन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि बैठक दिनांक 16.10.1981 प्रस्ताव संख्या 12 के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम में निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन अभियान में प्राप्त आवेदनकर्त्ताओं को निःशुल्क आवासीय भूखण्ड खसरा संख्या 448, 421, 399, 151, 398 में से आवंटित किये गये। ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल पट्टे (कार्यालय–प्रति) की पुश्त पर दर्शित नक्शा एवं पडौस अनुसार जैर निगरानी पट्टा खसरा संख्या 434 में से जारी किया गया है अर्थात् ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा पंचायत की बैठक दिनांक 16.10.1981 में निर्धारित खसरों से भिन्न किसी अन्य खसरा संख्या 434 से जारी किया तथा ग्राम चांचौडी की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के अनुसार खसरा संख्या 434 की किस्म गै.मु.वाडा है यानि ग्राम पंचायत ने आबादी से भिन्न किसी अन्य भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जो कि ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से परे है। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत पट्टा आबादी भूमि के अन्यत्र भूमि पर जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ''Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. इसके अतिरिक्त प्रश्नगत पट्टे की मूल प्रति पर न तो आवंटी के हस्ताक्षर है और न ही आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर है केवल पट्टे की पुश्त पर मुप सचिव के हस्ताक्षर है जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जैर निगरानी पट्टे की प्रति पर आवंटन आवंटन अधिकारी के रूप में सरपंच के हस्ताक्षर है, जो ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल रेकर्ड से मेल नहीं खाता है, जो कि प्रश्नगत पट्टे की प्रमाणिकता पर प्रश्नचिन्ह अंकित करता है। समग्रतः सम्पूर्ण विवेचन से यह जाहिर है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत चांचौडी द्वारा प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 16.10.1981 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 3019 दिनांक 16.10.1981 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली